

1648 100-
1006

रजम संख्या

1. कर्ता अथवा कर्ता का नाम रजम करने वाले कर्ता

जब प्रस्तुत करने का दिनांक

कर्ता का नाम

25/2/14
200 MA 21150211

जि. 100 90 725 100 147

प्र. 52483205

मूल्य 151611-

रजम के लिए मूल्य 5000-

प्रतिष्ठान/व्यक्ति के लिए मूल्य 2-

50610-

जि. 25/2/14
का दिनांक

प्रतिष्ठान या कर्ता का नाम-
जब के लिए रजम होगा

रजम अधिकारी के

Sub-Registrar
Ghaziabad

1649

कम संख्या 007

20

जब कहीं अप्रत्याशित घटना घटित होने लगे

प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करने का विनाश

प्रार्थी का नाम

25/2/24
11/10/24

पति

मुलक

का मुलक

संज्ञा के लिए शुल्क

के अधिप्राप्तगीकरण के लिए शुल्क

तैय

का दिनांक

प्रतिनिधि या संज्ञा प्रमाण-पत्र

ने के लिए तैयार होगा

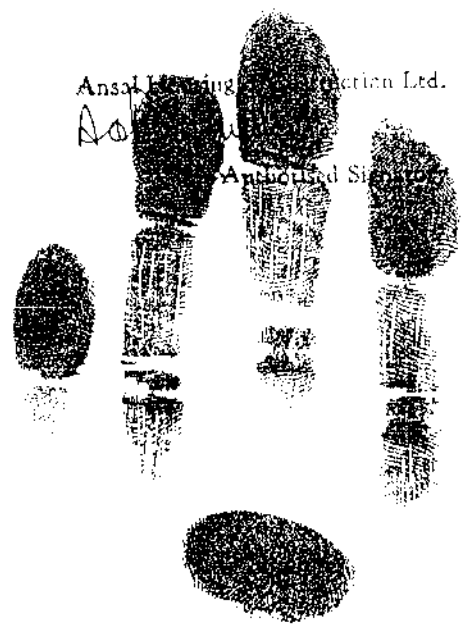
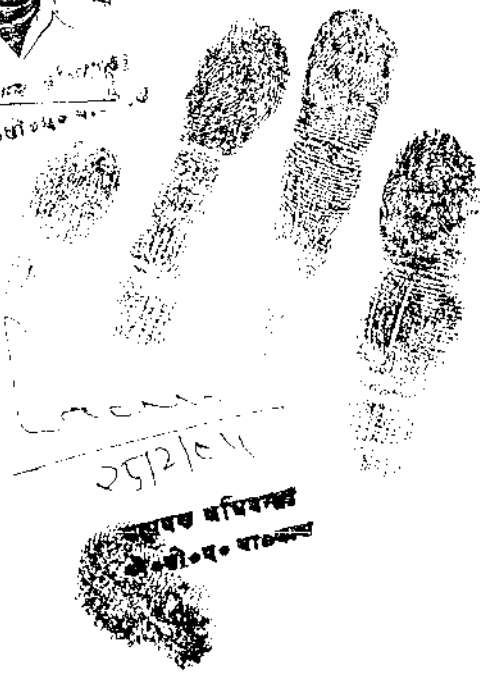
का अधिकारी के हस्ताक्षर

Sub-Registrar

Ghaziabad



गोराजप / शुभासिप



प्रेमक,

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)

गाजियाबाद ।

सेवा में,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद ।

पत्र संख्या: 96/रहा/वि०/रा०/अपर/अ

फरवरी 25, 2004

महोदय,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, तथा मैसर्स अंसल हाउसिंग फाइनेंस एण्ड लीजिंग कम्पनी के मध्य भूखण्ड संख्या ए-16 से लेकर ए-20, ब्लॉक आर-1, गाजियाबाद के 5300 वर्ग मीटर के भूखण्ड के पट्टा विलेख का निष्पादन 53 लाख रु० के प्रीमियम पर दिनांक 20.11.1985 को किया गया था जिसे धारा-33, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत अवरुद्ध करते हुए अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), गाजियाबाद द्वारा दिनांक 01.05.1992 को 6,09,443/-रु० कमी स्टाम्प तथा 557/-रु० अर्थदण्ड योग 6,10,000/-रु० आरोपित किये थे जिन्हें मूल विलेख पर मोहर सहित लिखित प्रमाण-पत्र दिनांक 05.05.1992 के अनुसार चालान संख्या ए-77 दिनांक 04.05.1992 को जमा कराया जा चुका है तथा धारा-16, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार पूर्व में निष्पादित पट्टा अनुबन्ध, जिसके क्रम में प्रस्तावित पट्टा विलेख निष्पादित किया जा रहा है, पर पूर्व में दिये गये स्टाम्प का समायोजन उपरोक्तानुसार लिखित है:

भावदीय,

(वी०के० गैवार)

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)

गाजियाबाद ।

Ansal Housing & Construction Ltd.

Authorized Signatory

Authorized Signatory

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

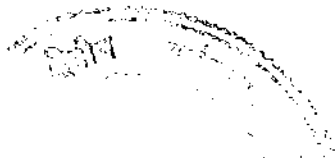
272107

Not a pin with

Quilley

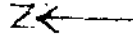


AB



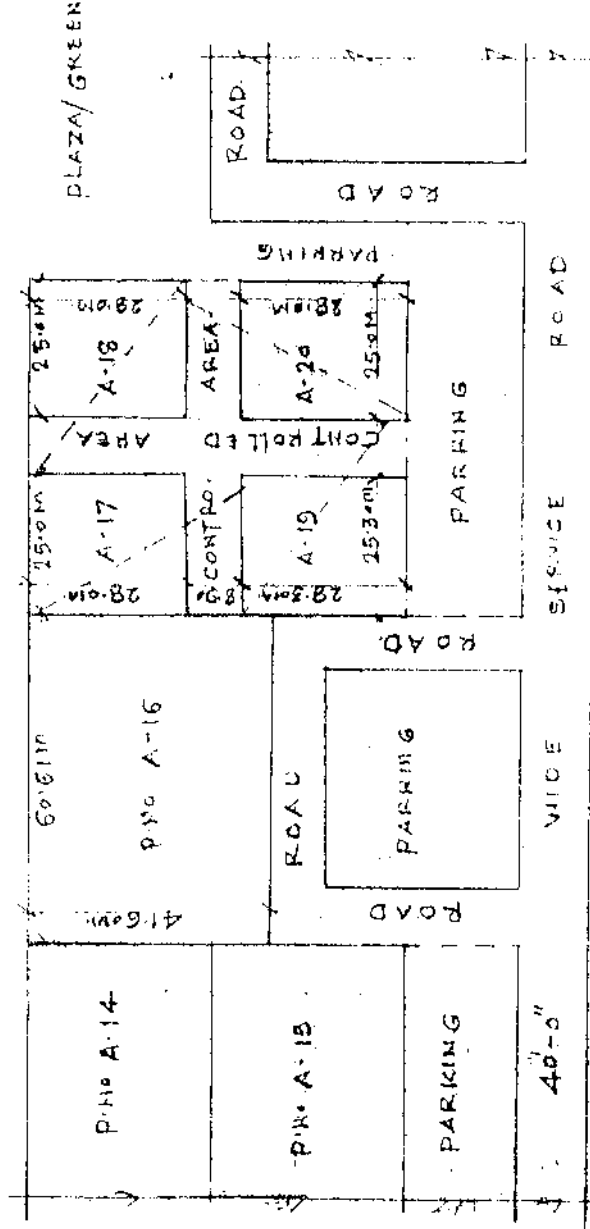
ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-28-2001 BY 60322 UCBAW

SITE PLAN OF PLOT NO. A-16, A-17, A-18, A-19, A-20, RAJ-NAGAR DISTT. - CENTRE GHAZIABAD, U.P.



AREA CHART IN SQM.

P.No	SALEABLE AREA
16	2521.37 SQM



PLAZA/GREEN

PLAZA/GREEN

PLAZA/GREEN

PLAZA/GREEN

PLAZA/GREEN

PLAZA/GREEN

PLAZA/GREEN

PLAZA/GREEN

PLAZA/GREEN

Additional to 1000
A. K. Singh

Authorised Signature

WIDE HAPUR ROAD.

150'-0"

40'-0"

150'-0"

150'-0"

150'-0"

SUMALPRAKASH SINGH
20-1-2013
MEASUREMENT

COMPARISON

PREPARED BY:-

4/10/13

15/1/13

15/1/13

15/1/13

15/1/13

15/1/13

4/10/13

15/1/13

15/1/13

15/1/13

15/1/13

15/1/13

15/1/13

15/1/13

15/1/13

15/1/13

15/1/13

15/1/13

15/1/13

15/1/13

15/1/13

15/1/13

15/1/13

15/1/13

Ansal Housing & Construction Ltd.

A.P. Rajan

Authorised Signatory



वाणिज्य/ आवासिक क्षेत्र में भवन निर्माण

माजियाबाद विकास प्राधिकरण की भूमि का पट्टा

यह विलेख नम्बर 2000/1... 50 के माह 2000/1...
... को माजियाबाद विकास प्राधिकरण (जिसे आगे चलकर 'पट्टेदार' कहा गया है, जिस शब्द में जब तक कि प्रसंग से प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी तथा अभ्यार्थित सम्मिलित होंगे) प्रथम पक्ष तथा श्री. रामेंद्र हांडरिया एवं श्री. अमरेंद्र सिंह द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में एक कि. मी. 100 के माह 2000/1...
... द्वारा नम्बर 13.13.4 को 8 मयूर विहार के 2 दिक्का
जिसे आगे चलकर 'पट्टेदार' कहा गया है, जिस शब्द में जब तक कि प्रसंग से प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुसूचित प्राप्त अभ्यार्थित सम्मिलित होंगे) दूसरे पक्ष के मध्य लिखा गया है।

चूंकि दोनों के निर्माणार्थ भूखण्डों के निस्पादन में सम्मानित नियमों के आधीन विकास प्राधिकरण एतापश्चात् उत्पन्न शर्तों और प्राधिकरणों पर माजियाबाद के विनियमित क्षेत्र के समक्ष अधिकारी द्वारा अनुमोदित सैट प्लान तथा रेखाचित्र के अनुसार आवासिक भवन के निर्माण हेतु आगे चलकर निर्मित भूखण्ड को पट्टे पर देने और पट्टेदार उसे पट्टे पर प्राप्त करने को सहमत हुए हैं।

अतः यह पट्टे का विलेख निम्न बातों का साक्षी है -

1. कि रू० 5,74,83,300/- (रुपये शब्दों में) ...
... के प्रीमियम के प्रतिफल स्वरूप तथा प्रीमियम का 10 प्रतिशत अंकन ...
... 100 वर्ष की पूर्ण अवधि का निर्मित किया जा सका है और जिसकी प्राप्ति प्राधिकरण द्वारा एतापश्चात् स्वीकार की जाती है।

उद्भवच बसिहस्त
नं० १०० ५१३३००

Ansal Housing & Construction Ltd.

A.P. Rajan

Authorised Signatory

3. कि पट्टेदार अपने स्वयं से पट्टा मूखण्ड पर प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित रेखाचित्र बाह्य उद्दिष्ट तथा डिजाइन और स्थिति के अनुसार एक आवासिक भवन या सारभूत एवं शिल्प कौशल रूप में निर्माण करायेगा जिसमें भवन, गलियारों, शौचालयों तथा सीवर, संयोजनों के सम्बन्ध में विहित प्राधिकरण तथा नगर पालिका नियमावली तथा उप-विधियों के अनुसार सभी आवश्यक सीवरों, गलियारों तथा अनुलग्नकों का प्राविधान होगा।

4. कि पट्टेदार सदैव प्राधिकरण के संतोषानुसार पट्टा मूखण्ड तथा भवनों को अच्छा और सारभूत प्रकार से रखेगा और उन्हें स्वच्छ दशा में रखेगा।

5. कि पट्टेदार प्राधिकरण की पूर्ण लिखित अनुमति के बिना प्राधिकरण/राक्षस अधिकारी द्वारा अनुमोदित रेखाचित्र तथा अनुमति की शर्तों के प्रतिकूल उक्त भवनों या पट्टा मूखण्ड पर तत्समय होने वाले निर्माणों में न तो कोई परिवर्तन करेगा या उनके किए जाने की अनुमति देगा और न कोई नया निर्माण करेगा अथवा करने की अनुमति देगा और यदि ऐसी शर्तों या रेखा चित्रों से किसी प्रकार का कोई अन्तर होगा तो वह प्राधिकरण की नोटिस की प्राप्ति के तुरन्त बाद ऐसे अन्तर को उपरोक्तानुसार ठीक कर लेगा और ऐसे नोटिस की प्राप्ति के एक पंचाग मास के भीतर यदि पट्टेदार ऐसे अन्तर को सही करने में असावधानी बरतेगा तो प्राधिकरण के लिए यह वैध होगा कि पट्टेदार एतद्द्वारा करार करता है कि वह उक्त धनराशि की जिसे प्राधिकरण तदर्थ निश्चित करें तथा जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा प्रतिपूर्ति भुगतान द्वारा प्राधिकरण कर देगा।

6. कि पट्टेदार प्राधिकरण की सहमति के बिना उक्त पट्टा मूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन का उपयोग न तो किसी धार्मिक प्रयोजनार्थ या उपरिलिखित प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनार्थ करेगा या किये जाने की अनुमति देगा और यदि प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अनुमति प्रदान की जायेगी तो पट्टेदार उनमें उल्लिखित शर्तों और प्रतिबन्धों का पालन करेगा। पट्टेदार उक्त मूखण्ड अथवा भवन पर या उसके किसी भाग पर न तो कोई ऐसा कार्य करेगा और न करायेगा जो प्राधिकरण को या पास पड़ोस से अन्य मूस्थानों/स्वामियों या आवासियों को कंठक स्वरूप प्रतीत होते हों या जिससे उन्हें क्षति, अड़चन या असुविधा होती हो।

7. कि पट्टेदार किसी भी दशा में प्राधिकरण की पूर्ण अनुमति के बिना पट्टा मूखण्ड का अभ्यर्षण परित्याग (प्राधिकरण के पक्ष के अतिरिक्त) न करेगा और न बन्धक रखेगा और न ही उसे शिकमी उठायेगा या अन्तरित करेगा और न ही उस पर होने वाले दखल को छोड़ेगा। प्राधिकरण को अपने स्वाधिवेकानुसार ऐसी अनुमति प्रदान करने या न करने का अधिकार होगा और ऐसी अनुमति प्रदान किए जाने की दशा में प्राधिकरण अपने साथ ऐसे अनुबन्ध के निष्पादन किये जाने हस्तान्तरिति से अपेक्षा करेगा, जिसे प्राधिकरण प्रस्तुत करें।

पट्टा मूखण्ड प्राधिकरण
को.जी.ए. ३१३३३३

Angel H. H. & Co. Architects, Ltd.
Authorised Signatory

8. कि पट्टेदार पट्टा भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्र से कम उसके किसी भाग को तथा उस पर बने भवन को या उसके किसी भाग को या दोनों को न तो अभ्यर्पित व परित्याग करेगा और न ही उन्हें बन्धक रखेगा और न शिकमी उठायेगा और न अंतरित करेगा और न वह उन्हें खण्डित करके या किसी अन्य प्रकार से उनका उपविभाजन करेगा।

9. सम्पूर्ण पट्टा भूखण्ड या भवन या दोनों के सम्बन्ध में किया गया प्रत्येक अन्तरण, अभ्यर्पण परित्याग, बन्धक या शिकमी पर उठाया जाना इस विलेख में उल्लिखित सभी प्रसविदाओं तथा शर्तों के आधीन होगा और जो कि सब अभ्यर्पिती या शिकमी किरायेदारों पर बाध्यकर होंगे और वे इस सम्बन्ध में उनके लिए प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायी होंगे। किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह होगा कि जब कभी पट्टेदार या उसके अन्तरिती या अनुमति प्राप्त अभ्यर्पिती, जैसी भी दशा हो पट्टा भूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन को उक्त अवधि के लिए अभ्यर्पित परित्याग, बन्धक करेंगे शिकमी पर उठावेंगे या अन्तरण करेंगे तो वे अपने स्वर्ध प्राधिकरण, के कार्यालय में अभ्यर्पण परित्याग, बन्धक या अन्तरण विलेख की एक प्रमाणित प्रति भी जमा करेंगे और इसके साथ ही इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट या किसी अन्य संशोधनात्मक संविधि के अधीन विधिवत प्रकार से उसकी रजिस्ट्रीकरण होने के पश्चात् एक मास के भीतर उसकी सूचना भी प्राधिकरण को देंगे।

10. कि पट्टेदार प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों और उसके कर्मचारों तथा उसके द्वारा समय-समय सेवायोजित अन्य व्यक्तियों को उक्त अवधि के दौरान सभी समुचित समयों पर पट्टा भूखण्ड तथा उस पर निर्माण किये जाने वाले भवन में प्रवेश करने की अनुमति देगा जिससे कि वे उनका परीक्षण तथा पूर्वाक्त वर्णित आवश्यक कार्यों का निर्माण कर सकें पर ऐसा किए जाने के पूर्व प्राधिकरण पट्टेदार को उक्त प्रयोजनार्थ तीन दिनों का पूर्व नोटिस देगा और पट्टेदार इस उपखण्ड के उपबन्धों की नोटिस किरायेदारों को देगा।

11. कि पट्टेदार प्राधिकरण द्वारा विहित शिल्पकला तथा उद्दिष्ट नियन्त्रण अनुसार भवन का निर्माण करेगा। अर्ध पृथक मकानों की दशा में जिनमें दोनों प्लॉट धारक विहित उद्दिष्ट से अतिरिक्त उद्दिष्ट को ग्रहण करना चाहे तो प्राधिकरण ऐसे पट्टेदारों को ऐसा किए जाने की अनुमति प्रदान कर देगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि दोनों की ऊंचाई तथा सेंटबैक एक-सी हो।

12. कि सिवाय उस सीमा तक जिसके लिए प्राधिकरण ने पट्टेदार को लिखित अनुमति प्रदान की हो पट्टेदार पट्टा भूखण्ड के किसी भाग पर न तो कोई अस्तबल शेड या अन्य किसी प्रकार के निर्माण कार्य करेगा अथवा घोड़े, चौपाये कुत्ते, कुकलूबट या अन्य पशु रखने के लिए स्थान बनायेगा और न ही उनके बनाये जाने की अनुमति देगा।

बनारस नगरपालिका
नं० १०२१-५४४४४४

Ansal Housing & Construction Ltd.

Ashish

Authorized Signatory

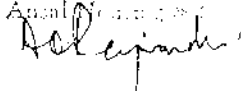
13. यदि अग्नि, तूफान, बाढ़ या सेना या अनियन्त्रण भीड़ द्वारा किये गये हिंसा पूर्वक कार्यों या अन्य अप्रतिरोध शक्ति प्रयोग के कारण पट्टा भूखण्ड का कोई सारभूत भाग पूर्णतया या आंशिक रूप से नष्ट हो जाये या भवन प्रयोजनार्थ सारभूत रूप से या स्थायी रूप से अनुपयुक्त हो जाये तो ऐसी दशा पट्टेदार न तो इस पट्टे को समाप्त करने के अपने विकल्प को काम में लाएगा और न ही उनके कारण हुई क्षति को पूर्ति करने के उद्देश्य से प्राधिकरण को उत्तरदायी ठहरायेगा।

14. यह कि पट्टेदार को पट्टा भूखण्ड पर दिनांक.....तक भवन का निर्माण करना और उसे पूरा करना आवश्यक होगा। पट्टेदार द्वारा निर्माण कार्य पूरा कराये जाने में असफल रहने के परिणाम स्वरूप प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह पट्टा निरस्त भरके पट्टा भूखण्ड का वापिस प्राप्त कर लें।

15. पट्टेदार द्वारा निर्धारित अवधि में निर्माण न किये जाने की दशा में प्राधिकरण पट्टा निरस्तीकरण एवं भूखण्ड को वापस प्राप्त करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए ऐसी शर्तों के साथ अतिरिक्त धनराशि तत्कालीन प्रचलित नियमों के अनुसार लेवी के रूप में प्राप्त कर निर्माण अवधि अधिकतम 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है लेवी की दर गिन्ना-2 वृद्धि वर्षा के लिए अलग-2 हो सकती है तथा निर्धारित लेवी दर के विषय में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा अन्यथा प्राधिकरण निर्माण हेतु समय वृद्धि के लिए बाध्य नहीं होगा।

16. यह कि किसी कारण न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय अथवा वर्तमान किसी वैधानिक प्राविधान या उसके संशोधन अथवा नये कानूनी प्राविधान के परिणाम स्वरूप यदि प्रतिकर की राशि बढ़ जाती है तो उस अतिरिक्त धनराशि के भुगतान का भूस्वामी के प्रति दायित्व पट्टेदार का होगा।

(क) इससे पूर्व किसी बात के अन्यथा होते हुए भी यदि प्राधिकरण के मतानुसार (जिसका निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकर होगा) पट्टेदार अथवा उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा इससे पूर्व की शर्तों प्रसंगिताओं में से किसी का उलंघन किया गया हो, जिनका पालन तथा सम्पादन किया जाना उनका कर्तव्य था तथा विशेषतया और इस उपखण्ड की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि पट्टेदार पूर्वोक्त प्राविधान के अनुसार सम्पूर्ण पट्टा भूखण्ड पर भवन निर्माण करने के पूर्व पट्टा भूखण्ड का अन्तरण परित्याग बन्धक या अभ्यावर्ण करता है या अन्तरित भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्र से कम का अन्तरण परित्याग बन्धक या अभ्यावर्ण करता है या प्राधिकरण को देय कोई धनराशि इस पट्टे के अधीन देय शेष रहती है और पट्टेदार उस का भुगतान नहीं करता है। या यदि पट्टेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें इस पट्टे के अधिकार एतद्वारा निहित किये गये हों दिवालिया निर्णत हो गया हो तो प्राधिकरण के लिए वह वेध होगा कि (अनुबन्ध के उलंघन के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करने के किसी

Authorised Signatory

 Authorised Signatory

अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) वह पट्टा भूखण्ड या उसके किसी भाग पर अतिरिक्त सम्पूर्ण भूखण्ड के नाम पर पुनः प्रवेश कर ले और पट्टा समाप्त हो जायेगा और तत्पश्चात्

(1) यदि पुनः प्रवेश के समय पट्टेदार द्वारा भवन का निर्माण नहीं किया गया हो तो ऐसी दशा में प्राधिकरण पट्टा भूखण्ड का पुनः आवंटन कर सकेगा और इस पट्टे की समाप्ति या पट्टेदार द्वारा अभित्यजन जैसी भी स्थिति हो के दिनांक तक प्रीमियम की सभी किश्तों पर देय सम्पूर्ण ब्याज तथा पट्टे के किराये के बकाए को काटकर और साथ ही कुल ऊपरलिखित प्रीमियम का 5 प्रतिशत काट कर शेष धनराशि बिना ब्याज पट्टेदार को लौटा देगा पर उपरोक्त इस शर्त के अधीन होगा की न्यूनतम काटी गयी धनराशि 250/- से कम न होगी।

(2) यदि पुनः प्रवेश के समय पट्टेदार द्वारा पट्टा भूखण्ड पर किसी भवन का निर्माण किया गया हो तो पट्टेदार, पुनः प्रवेश के दिनांक से 3 मास की अवधि के भीतर उस पर से सभी निर्माण कार्य या भवन जुड़नार तथा वस्तुएं जो किसी समय या उक्त अवधि के दौरान उक्त भूखण्ड पर या इसमें जुड़ी या लगाई गई हो हटा लेगा और उक्त स्थान को ऐसी अच्छी दशा में लायेगा जैसे कि वह पट्टा देने के समय थी, पर उपरोक्त के सम्बन्ध में चूक किये जाए जाने पर वे उक्त भूखण्ड और उस पर होने वाले भवन जुड़नार और वस्तुओं के सम्बन्ध में पट्टेदार को किसी प्रतिकार का भुगतान किये बिना प्राधिकरण की सम्मति हो जायेगी यदि पट्टेदार पूर्व निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्माण कार्य भवनों, जुड़नारों और वस्तुओं को हटा लेता है तो पट्टा भूखण्ड का पुनः आवंटन कर दिया जायेगा और पट्टेदार को उपरोक्त उपखण्ड (1) में दिये हुए सिद्धान्तों के अनुसार निकाली गई धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्राधिकरण अपने विवेकानुसार उनके लिए पट्टेदार से उक्त निर्माण कार्य, भवनों और जुड़नारों के क्रय करने के लिए और भूमि में होने वाले उसके हितों को क्रय करने के लिए सहमत हो सकेगा जैसा कि दोनों के बीच पारस्परिक सहमति हो जाए।

(3) और इस विलेख के पक्षों द्वारा तथा उनके बीच एतद्वारा निम्नलिखित सम्बन्ध में सहमति और घोषणा की जाती है :-

(ख) यदि प्राधिकरण को पट्टेदार द्वारा या उसके माध्यम या अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा पूर्वोक्त शर्तों के उल्लंघन के कारण पट्टा भूखण्ड का नया पट्टा स्वीकार करने के कारण कोई हानि सहन करनी पड़ती है, तो ऐसी हानि की बराबरी प्राधिकरण द्वारा पट्टेदार से की जा सकेगी।

(ग) यदि इस विलेख के अधीन किसी नोटिस के दिये जाने की अपेक्षा की गई हो तो वह उस दशा में पट्टेदार पर दी गई सख्त समझी जायेगी जब कि वह प्राधिकरण के कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा हस्तान्तरित की गई हो और उसे

बहाल प्राधिकरण
को.डी.ए. पाठक

Ansal Housing & Construction Ltd.
A. S. Anand

Authorized Signature

पट्टा भूखण्ड पर छोड़ दिया गया हो और प्राधिकरण के किसी निर्णय की अधिसूचना को ऐसे निर्णय का यथेष्ट साक्ष्य उस दशा में समझा जायेगा जबकि उस पर प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर हो।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख के पक्षी के ऊपर उल्लिखित दिवस तथा वर्ष को अपने अपने हस्ताक्षर किए।

साक्षी	हस्ताक्षर
साक्षी	प्राधिकृत अधिकारी
साक्षी	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
साक्षी	Authorising & Construction Ltd
साक्षी	पट्टेदार Authorised Signatory

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक प्रकार से मूल की सही तथा शुद्ध प्रति है।

पट्टेदार

प्राधिकृत अधिकारी

विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

